भारत सरकार
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या:3387
दिनांक 08 अगस्त, 2025 को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर

नए नर्सिंग महाविद्यालय

†3387. श्री जी. लक्ष्मीनारायणः
श्री अप्पलनायडू कलिसेट्टीः

क्या **स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) चिकित्सा महाविद्यालयों के परिसरों में ही 157 नए नर्सिंग महाविद्यालयों (सीओएन) की स्थापना संबंधी योजना के अंतर्गत स्वीकृत नए नर्सिंग कॉलेजों की राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार संख्या और नाम क्या हैं;
(ख) इन स्वीकृत नर्सिंग महाविद्यालयों (स्वीकृत/निर्माणाधीन/कार्यशील) के कार्यान्वयन की वर्तमान स्थिति क्या है और इनके संचालन की अपेक्षित समय-सीमा क्या है;
(ग) इस योजना के अंतर्गत प्रत्येक अनुमोदित संस्थान के लिए आवंटित, स्वीकृत और जारी की गई धनराशि का राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार और वर्ष-वार ब्यौरा क्या है;
(घ) इन नर्सिंग महाविद्यालयों के चिकित्सा महाविद्यालयों के साथ एक ही स्थान पर होने, बुनियादी ढांचे, संकाय और संबद्धता के लिए सरकार द्वारा निर्धारित मानदंड क्या हैं और क्या राज्यों द्वारा इस संबंध में किसी विचलन या कार्यान्वयन में देरी की सूचना दी गई है; और
(ङ) एक ही स्थान के लिए प्रस्तावित चिकित्सा महाविद्यालयों के नाम, प्रत्येक प्रस्ताव की स्थिति और इस संबंध में जारी की गई धनराशि, यदि कोई हो, सहित आंध्र प्रदेश राज्य, विशेष रूप से अनंतपुर जिले से प्राप्त प्रस्तावों का ब्यौरा क्या है?

उत्तर
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्रीमती अनुप्रिया पटेल)

(क) से (ग): सरकार ने 2023 में 157 नर्सिंग कॉलेज स्थापित करने के लिए केंद्र प्रायोजित योजना (सीएसएस) "नर्सिंग शिक्षा का संवर्धन - मेडिकल कॉलेजों के साथ नए नर्सिंग कॉलेजों की स्थापना" को मंज़ूरी दे दी है। अब तक, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के 113 नर्सिंग कॉलेजों के प्रस्ताव स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में प्राप्त हुए हैं और अनुमोदित किए जा चुके हैं। वर्तमान स्थिति अनुलग्नक में दी गई है।

इस योजना के तहत, प्रत्येक नर्सिंग कॉलेज को केंद्र और राज्य दोनों के अंश सहित 10 करोड़ रुपये की धनराशि प्रदान की जाती है। पूर्वोत्तर और विशेष श्रेणी के राज्यों के लिए यह अनुपात 90:10, अन्य राज्यों के लिए 60:40 और बिना विधानमंडल वाले संघ राज्य क्षेत्रों के लिए 100% केंद्रीय वित्त पोषण है। इस योजना के

अंतर्गत कुल 1016 करोड़ रुपये के केंद्रीय अंश में से 436.82 करोड़ रुपये राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को जारी किए जा चुके हैं। राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार विवरण **अनुलग्नक** में है।

(घ): राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को नर्सिंग संस्थानों की स्थापना के लिए नियामक संस्था द्वारा निर्धारित मानदंडों का पालन करना आवश्यक होता है। मेडिकल कॉलेजों के साथ सह-स्थापना से मौजूदा मेडिकल कॉलेजों के बुनियादी ढांचे, संकाय, कौशल प्रयोगशालाओं और नैदानिक संसाधनों का इष्टतम उपयोग संभव होगा। इस योजना को मूल रूप से 2023-24 से 2025-26 के दौरान कार्यान्वयन के लिए अनुमोदित किया गया था, जिसे अब 2026-27 तक बढ़ा दिया गया है।

(ङ): आंध्र प्रदेश के संदर्भ में, पिदुगुराल्ला, पडेरु और मछलीपट्टनम में तीन (3) नर्सिंग कॉलेजों को मंजूरी दी गई है। केंद्रीय अंश के रूप में 6.00 करोड़ रुपये की राशि जारी की गई है। इन तीनों संस्थानों की आधारशिला रखी जा चुकी है।

दिनांक 08.08.2025 को उत्तर दिए जाने के लिए लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 3387 के उत्तर के भाग (क) से (ग) में संदर्भित अनुलग्नक।

अनुलग्नक

अनुमोदित किए गए नर्सिंग कॉलेजों के कार्यान्वयन की वर्तमान स्थिति तथा राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार और वर्ष-वार जारी धनराशि का विवरण नीचे दिया गया है:

क्र. सं.	**राज्य**	**उन जिलों के नाम जहां नर्सिंग कॉलेज स्थापित किया जाना है**	**जारी की गई धनराशि (करोड़ रुपए में)**
1.	अंडमान और निकोबार	पोर्ट ब्लेयर	2.50
2.	**आंध्र प्रदेश**	**पिडुगुराला**	**2.00**
		पडेरू	**2.00**
		मछलीपट्टनम	**2.00**
3.	असम	कोकराझार	2.00
		धुबरी	2.00
		नौगांव उत्तरी	2.00
		लखीमपुर	2.00
		दिफू	2.00
4.	छत्तीसगढ़	राजनंदगांव*	--
		सरगुजा*	--
		कोरबा	--
		महासमुंद	--
		कांकेर	--
5.	गुजरात	नर्मदा	4.00
		नवसारी	4.00
		पंचमहल	4.00
		पोरबंदर	4.00
		मोरबी	4.00
6.	झारखंड	दुमका	2.00
		हजारीबाग	2.00
		पलामू (डाल्टनगंज)	2.00
		कोडरमा	2.00
		चाईबासा (सिंहभूम)	2.00
7.	जम्मू और कश्मीर	हंदवाड़ा (जिला कुपवाड़ा)	2.00
8.	हिमाचल प्रदेश	चंबा	3.00
		हमीरपुर	3.00
		नाहन (सिरमौर)	3.00
9.	हरियाणा	भिवानी	2.00
10.	लद्दाख	लेह	2.50
11.	मध्य प्रदेश	खंडवा	2.00
		रतलाम	2.00
		राजगढ़	2.00
		शिवपुरी	2.00
		मन्दसौर	2.00
		दतिया	2.00
		सतना	2.00
		शहडोल	2.00
		विदिशा	2.00
		छिंदवाड़ा	2.00
		नीमच	2.00
		मांडला	3.00

		सिंगरौली	2.00
		श्योपुर	2.00
12	महाराष्ट्र	गोंदिया	3.00
		नंदुरबार	2.00
		जलगांव	3.00
		सिंधुदुर्ग	3.00
		यवतमाल	3.00
		चंद्रपुर	3.00
13.	मणिपुर	चुराचांदपुर*	
14.	मेघालय	वेस्ट गारो हिल्स (तुरा)	6.50
15.	नागालैंड	कोहिमा	6.00
		मोन	6.00
16.	ओड़िशा	कालाहांडी	4.00
		जाजपुर	4.00
		बालासोर	4.00
		बारीपदा (मयूरभंज)	4.00
		बोलंगीर	4.00
		कोरापुट	4.00
		पुरी	4.00
17.	पंजाब*	एसएएस नगर	--
		कपूरथला	--
		होशियारपुर	--
18.	राजस्थान	बाड़मेर	6.00
		भीलवाड़ा	6.00
		डूंगरपुर	6.00
		सीकर	6.00
		धौलपुर	6.00
		बारां	6.00
		बांसवाड़ा	6.00
		चित्तौड़गढ़	6.00
		जैसलमेर	6.00
		करौली	6.00
		श्रीगंगानगर	6.00
		सिरोही	6.00
		बूंदी	6.00
		सवाई माधोपुर	6.00
		टोंक	6.00
		हनुमानगढ़	6.00
		झुंझुनूं	6.00
		जालौर	6.00
		प्रतापगढ़	6.00
		राजसमंद	6.00
		नागौर	6.00
		पाली	6.00
		मसूदा (अजमेर)	6.00
19.	उत्तराखंड	अल्मोड़ा	2.25
		रुद्रपुर	2.25
		पिथौरागढ़	2.25

		हरिद्वार	2.25
20.	उत्तर प्रदेश	बस्ती	6.00
		फैजाबाद	6.00
		फिरोजाबाद	6.00
		शाहजहांपुर	6.00
		बहराईच	6.00
		एटा	6.00
		हरदोई	6.00
		प्रतापगढ़	6.00
		सिद्धार्थनगर (डोमरियागंज)	6.00
		गाजीपुर	6.00
		मिर्जापुर	6.00
		बिजनौर	6.00
		सुल्तानपुर	6.00
		कुशीनगर	6.00
		ललितपुर	6.00
		लखीमपुर खीरी	6.00
		अमेठी	6.00
		कौशांबी	6.00
		सोनभद्र	6.00
		फ़तेहपुर	2.00
		चंदौली	2.00
		बुलन्दशहर	2.00
		गोंडा	2.00
		पीलीभीत	2.00
		औरैया	2.00
		कानपुर देहात	2.00
		देवरिया	2.00
21.	पश्चिम बंगाल*	बीरभूम (रामपुर हाट)	--
		कूच बिहार	--
		डायमंड हार्बर	---
		पुरुलिया	--
		रायगंज(उत्तरी दिनाजपुर)	--
		बारासात	--
		उलुबेरिया	--
		आरामबाग	--
		झाड़ग्राम	--
		तमलुक	--
		जलपाईगुड़ी	--
22.	सिक्किम	गंगटोक	6.50
23	लद्दाख	लेह	2.50

*योजना के दिशा-निर्देशों के अनुसार जिला महाविद्यालय को मंजूरी दे दी गई है, तथापि, राज्य सरकार द्वारा अभी प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाना है।

बिहार, कर्नाटक, तमिलनाडु, जम्मू और कश्मीर (हंदवाड़ा में एक नर्सिंग कॉलेज को छोड़कर), अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम सरकारें इस योजना से हट गई हैं।

*****